# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज।

अनवान– देवीलाल वगैरा बनाम मौमकोरी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर ....42./2017

| तारीख हुक्म जारी करने की | कार्यवाही मय इनसिवल जज | हुक्म तारीख व तामिल |
|---|---|---|
| 20/01/2017 | आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि चक 21 एसडी–बी तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 21 म0न0 143/418 का किला नम्बर 17/2 का 0.127, 18, 19, का कुल 0.633 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थीगण के हिस्सा को अन्य को रहन, विक्रय, या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर स्वयं या अपने किसी हितनिधि के माध्यम से जबरन काबिज होने, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि मे से पेड़ आदि हटाने या अन्य कोई स्थापित सुविधा को हटाने/बाधित करने से या ऐसा कार्य करने से जिससे प्रार्थीगण को काश्त में परेशानी हो को करने से बाज व ममनू रहे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने रखे।<br>वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है।<br>अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित भूमि चक 21 एसडी–बी तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 21 म0न0 143/418 का किला नम्बर 17/2 का 0.127, 18, 19, का कुल 0.633 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थीगण के हिस्सा को अन्य को रहन, विक्रय, या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर स्वयं या अपने किसी हितनिधि के माध्यम से जबरन काबिज होने, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में से पेड़ आदि हटाने या अन्य कोई स्थापित सुविधा को हटाने/बाधित करने से या ऐसा कार्य करने से जिससे प्रार्थीगण को काश्त में परेशानी हो को करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आईन्दा तारीख पेशी तक बनाये रखे।<br>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित को तहरीर / सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/2/17 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीविजयनगर | |
| 20/2/17 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय सूची के साथ दस्तावेज पेश किया, जवाब प्रार्थना की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई। पत्रावली स्टे की पत्रावली के [illegible] व [illegible] हेतु दिनांक 28/2/2017 को पेश हो। | |

Scanned by CamScanner

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये |
| --- | --- | --- |
| 18/4/19 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप० नहीं। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है पत्रावली [illegible] दिनांक 30/4/2019 को पेश हो। | |
| 30/4/19 | पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थीगण दे जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 09/5/19 को पेश हो। | |
| 09/5/19 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थीगण ने मूल वाद पत्र को Not Press कर लिया है इसलिए इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली में इसी स्टेज पर कार्यवाही बन्द की जाती है पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर | |